①

उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा अनुभाग-6
संख्या-..2215/5-6-11-1082/87
लखनऊ : दिनांक: 20 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

SONI PHOTO STAT CENTRE
SADAR TAHASIL FAIZABAD

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011

भाग-एक
सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

प्रयोज्यता

2. यह नियमावली निम्नलिखित पर लागू होगी:-

(क) सभी सरकारी सेवक, जबकि वे कार्य पर हों, या अवकाश पर हों या निलम्बन के अधीन हों और उनके परिवार।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों।

परिभाषाएँ

3. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(क) **"प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक"** का तात्पर्य किसी सरकारी चिकित्सालय के ऐसे चिकित्सा अधिकारियों या विशेषज्ञों से या संदर्भकर्ता संस्थाओं के ऐसे प्रवक्ताओं, उपाचार्यों, आचार्यों या अन्य विशेषज्ञों से है जो किसी लाभार्थी को चिकित्सा परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त हों,

(ख) **"लाभार्थी"** का तात्पर्य सरकारीसेवक और उनके परिवार, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों से है जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों,

(ग) **"परिषद"** का तात्पर्य यथाविहित कृत्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा जिला, मण्डल और राज्य स्तर पर गठित चिकित्सा परिषद से है,

(घ) **"निदेशक"** का तात्पर्य निदेशक, (चिकित्सा परिचर्या) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश से है,

(ङ) **"महानिदेशक"** का तात्पर्य महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश से है,

(च) **"परिवार का तात्पर्य"**:-

(एक) सेवा के सदस्य का, यथास्थिति, पति या पत्नी, और

(दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त बहनें, अवयस्क भाई, सौतेली माता,

(छ) **"सरकार का तात्पर्य"** उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ज) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(झ) **"सरकारी चिकित्सालय"** का तात्पर्य या तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे, या किसी चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है,

(ञ) **"सरकारी सेवक"** का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक में यथापरिभाषित ऐसे पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य भी हैं, से है जिनका वेतन राज्य के राजस्व से वहन किया जाता है, किन्तु इसमें अंशकालिक कर्मचारी, मौसमी/संविदागत कर्मकार या दैनिक मजदूरी पर लगे कर्मकार सम्मिलित नहीं हैं,

(ट) "चिकित्सालय" का तात्पर्य ऐलोपैथिक या होम्योपैथी चिकित्सालय या भारतीय चिकित्सा पद्धति की डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य जाच और चिकित्सीय अन्वेषण हेतु प्रयोगशाला एवं केन्द्र से है,

(ठ) "चिकित्सा परिचर्या" का तात्पर्य रोग निदान और उपचार के प्रयोजनार्थ ऐसे चिकित्सीय परामर्श और परीक्षण एवं अन्वेषण की विधियों से है जो उपचारी चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझी जाएं,

(ड) "चिकित्सा महाविद्यालय" का तात्पर्य, सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालय से है,

(ढ) "सेवानिवृत्त सरकारी सेवक" का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक से है जो सेवा से निवृत्त हो गया हो और सरकार से पेंशन आहरित कर रहा हो। तथापि, इसमें वे सरकारी सेवक सम्मिलित नहीं हैं जो राज्य सरकार की सेवा छोड़ने के पश्चात् किसी स्वशासी संस्था/उपक्रम/निगम आदि में आमेलित हो गये हों,

(ण) "संदर्भित करने वाली संस्था" का तात्पर्य सभी राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय(सी0एस0एम0एम0यू0), लखनऊ, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान(एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0), लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वाराणसी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), अलीगढ़ और सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किसी अन्य संस्था से है,

(त) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,

(थ) "उपचारी चिकित्सक" का तात्पर्य आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति के यथाविहित अर्हतायुक्त चिकित्सक से है, जो लाभार्थी का वास्तव में उपचार करता है,

(द) "उपचार" का तात्पर्य सभी उपभोग्य कन्ज्यूमेबल एवं उपभोग पश्चात् त्याज्य डिस्पोजेबल, चिकित्सीय एवं शल्य सुविधाओं के उपयोग और परीक्षण की विधियों और निदान के प्रयोजनार्थ अन्वेषण से है और इसमें अंग प्रत्यारोपण, औषधियाँ, सेरा, वैक्सीन, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति, विहित जीवन रक्षक प्रकियाएँ या चिकित्सालय में भर्ती होना और देखरेख भी सम्मिलित है।

भाग-2

सरकारी चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों/संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान/छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में उपचार

निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी

4. समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेन्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

संदर्भ अपेक्षित न होना

5. किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से किसी संदर्भ की आवश्यकता न होगी।

स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से पहचान

6. (क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहँर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो।

परन्तु, किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पद नाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनमान, उसकी

सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि, यदि परिवार के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होंगे और वह पत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।

वास सुविधा

7. (क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी:-

क्रमांक	मूल वेतन + ग्रेड वेतन	वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हकदार होगा
1.	₹19000/- या अधिक	निजी या विशेष वार्ड
2.	₹13000/- से अधिक और ₹19000/- से कम	सशुल्क वार्ड
3.	₹13000/- या कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूल वेतन माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर सेवाओं के लिए हकदार होगा जो कि वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पाता रहा है:

परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(ख) चिकित्सा अवधि में रोगी को आहर शुल्क अनुमन्य होगा किन्तु यह सम्बन्धित सरकारी चिकित्सालय में तत्समय प्रयोज्य शुल्क से अधिक नहीं होगा।

अन्य स्रोतों से औषधियों आदि की आपूर्ति

8. किसी लाभार्थी के उपचार के लिए औषधियाँ, यथा सेरा, वैक्सीन, रक्त, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति या चिकित्सीय अन्वेषण यथा सोनोग्राफी, कम्प्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनिंग, एन्डोस्कोपी, ऐन्जियोग्राफी, रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल जाँच या कोई अन्य जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, अन्य सरकारी या निजी स्रोतों से उपलब्ध कराई जायेगी, यदि उपचारी चिकित्सक द्वारा लिखित में यह प्रमाणित करते हुए कि ऐसी औषधियाँ या सुविधाएँ सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा अवधारित और विहित किया जाय। किसी मधुमेह रोगी के मामले में, जिसे एक दिन में एक से अधिक बार इन्सुलिन विहित किया गया हो, डायग्नॉसिस किट(निदान यंत्र) की लागत, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर अनुमन्य होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक या उपचारी चिकित्सक द्वारा ऐसी खर्चीली दवाइयाँ, जिनके लिए कम लागत की किन्तु समान थेराप्यूटिक महत्व की औषधियाँ उपलब्ध हों या ऐसी दवाइयाँ जो खाद्य वस्तुओं, टानिक, प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त हों या एंटीसेप्टिक या निजी रक्त बैंक से रक्त के लिए सामान्य रूप से परामर्शित नहीं किया जायेगा।

कृत्रिम अंग

9. (क) उपचारी चिकित्सक की संस्तुति पर और चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन से, चाहे जिस भी पदनाम से वह जाना जाय, निम्नलिखित कृत्रिम अंग और साधित्र अनुमन्य किये जा सकते हैं:-

1. आर्थोपेडिक प्रोस्थीसिस हिप
2. प्रोस्थीसिस फार नी ज्वाइंट
3. सरवाइकल कालर्स
4. कार्डियॉक पेस मेकर
5. कार्डियॉक वाल्व
6. आर्टिफिशियल वोकल बाक्स
7. हियरिंग एड/कॉक्लियर इम्प्लान्ट
8. इन्ट्राऑक्यूलर लेन्स रीइम्प्लान्ट

9. थेराप्यूटिक कान्टैक्ट लेन्स
10. कम्प्लीट आर्टिफिशियल डेन्चर (सम्पूर्ण कृत्रिम दंतावली)
11. स्पेक्टेकल्स(चश्में)(तीन वर्षों में एक बार से अनधिक)
12. निःशक्त के उपयोग के लिए कृत्रिक अंग को शामिल करते हुए साधित्र
13. सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य साधित्र।

(ख) उपर्युक्त कृत्रिम अंगों और साधित्रों की आपूर्ति विशिष्टियों या निर्माण, नाम इत्यादि इंगित करते हुए उपचारी चिकित्सक की लिखित सलाह पर की जायेगी।

एस0जी0पी0जी0आई/ सी0एस0एम0एम0यू0 में उपचार

10. कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।

भाग-तीन

यात्रा पर आपातकालीन स्थिति में उपचार और विशिष्ट उपचार

तात्कालिक/आपातकालीन उपचार

11. किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और राज्य से बाहर की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि:-

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाए।

(ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारंभ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय।

(ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की

धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।

यात्रा पर उपचार

12. कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक सम्बन्धित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हक्दार होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी।

निजी चिकित्सालय में विशिष्ट उपचार

13. (क) जटिल और गम्भीरं बीमारियों के उपचार के लिए, जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा उपचार और चिकित्सा परिचर्या के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संदर्भित किया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार संदर्भित किसी रोगी को तात्कालिक/आपात स्थिति के कारण संदर्भित से भिन्न किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है तो नियम-11(ग) लागू नहीं होगा।

(ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक, जो भी कम हो, सीमित होगी।

(ग) ऐसे उपचार या जाँच जिनके लिए संजयगाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सुविधा विद्यमान न हो, पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की

जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि उपचार देश के भीतर कराया गया हो।

मान्यता प्राप्त भारतीय चिकित्सा पद्धतियों द्वारा उपचार

14. सरकारी चिकित्सालय के बाहर होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेद पद्धति या किसी अन्य विहित भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार की प्रतिपूर्ति उस रूप में की जायेगी जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय।

भाग-चार
सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा अग्रिम

चिकित्सा अग्रिम

15. (क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, प्राक्कलित धनराशि के पचहत्तर प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।

(ख) अग्रिम के लिए आवेदन परिशिष्ट-"ख" में दिये गये विहित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ उपचारी चिकित्सक द्वारा निर्गत तथा संस्था के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्राक्कलन संलग्न किया जायेगा।

(ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय।

(घ) कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इसके उपभोग किये जाने के तत्काल पश्चात्, किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह अपश्चात्, प्रस्तुत करेगा।

(ङ.) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जबतक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।

(च) प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी परिशिष्ट "घ" में यथाविहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टर रखवायेगा।

(छ) आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल(बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गयी है।

(ज) यदि अग्रिम के समायोजन के लिए चार महीनों के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी।

भाग-पाँच
प्रतिपूर्ति

तीन महीनों के भीतर दावा

16. लाभार्थी द्वारा स्वीकर्ता प्राधिकारी को, यथाशक्य शीघ्र किंतु उपचार की समाप्ति के पश्चात् तीन माह से अपश्चात् परिशिष्ट "ग" में दिये गये विहित प्रारूप में प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

बीजक के साथ संदर्भ-पत्र, उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित किये गये वाउचर और परिशिष्टि "ङ" में (बहिरंग उपचार) और परिशिष्टि "च" (अंतरंग उपचार) में अनिवार्यता प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में दावे को पुष्ट करने के लिए अन्य मूल दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं। अपूर्ण दावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पेंशन भोगी का प्रतिपूर्ति दावा उस जिले के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जहाँ से वह पेंशन आहरित कर रहा है। जहाँ ऐसा कोई कार्यालय न हो

वहाँ सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी होगा।

तकनीकी परीक्षण प्राधिकारी

17. (क) स्वीकर्ता अधिकारी या पेंशनभोगी के मामले में कार्यालयाध्यक्ष दावा प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से दस दिनों के भीतर तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा। सम्बन्धित प्राधिकारी, सम्यक् तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात् वास्तविक प्रतिपूरणीय धनराशि इंगित करते हुए उस दावे को पन्द्रह दिनों के भीतर, यथास्थिति, स्वीकर्ता प्राधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर देगा।

(ख) जब तक कि कतिपय आपत्तियाँ न उठायी गयी हों और संसूचित न की गयी हो, स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से 01 माह के भीतर प्रपिपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा और आहरण एवं वितरण अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर उसका वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करेगा। पेंशन भोगी के मामले में, यदि कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ता प्राधिकारी न हो तो, वह तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रतिपूर्ति दावे को सात दिनों के भीतर स्वीकर्ता प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा जो भुगतान के लिए उपर्युक्त समय-सारिणी का अनुसरण करेगा।

प्रतिपूर्ति के लिए अनिवार्य दस्तावेज

18. स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि परिशिष्ट "ग" में दिये गये विहित प्रारूप पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जाए:

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक, चाहे जिस भी नाम से जाना जाय, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।

(ख) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित सभी बिलों, संदर्भ पत्र, प्रेस्क्रिप्शन पर्चों, और बाउचरों की मूल प्रतियाँ।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट।

(घ) विशेष परिस्थितियों में दावे को सिद्ध करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज भी मूल रूप में संलग्न किये जा सकते हैं।

(ङ) अपूर्ण दावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकरी

19. तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:-

दावे की धनराशि	सक्षम प्राधिकारी
(एक) ₹40000/- तक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय/आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक।
(दो) ₹40001/-.से अधिक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
(तीन) निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु	सदर्भकर्ता संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) में उपबंधित है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा।

स्वीकर्ता प्राधिकारी

20. उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:

(क) सरकारी सेवकों के लिए:-

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
₹100000/- तक	कार्यालयाध्यक्ष
₹100000/- से अधिक- ₹250000/- तक	विभागाध्यक्ष

₹250000/- से अधिक - ₹500000/- तक	सरकार का प्रशासकीय विभाग
₹500000/- से अधिक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए:-

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
₹100000/- तक	सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की की संस्तुति के पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद का **कार्यालयाध्यक्ष**
₹100000/- से अधिक- ₹500000/- तक	सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की की संस्तुति के पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी।
₹500000/-से अधिक	सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की की संस्तुति के पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एवं वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् **प्रशासकीय विभाग**।

व्यय का कोषागार "शीर्ष"

21. प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी **"शीर्ष"** से आहरित की जायेगी जिससे सामान्यतया वेतन, भत्ते और पेंशन आदि आहरित किये जाते हैं।

भाग-छः
प्रकीर्ण

यात्रा और सहचर

22. (क) यदि कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक किसी रोगी को उच्चतर/विशिष्ट उपचार के लिए, जिसके लिए जिला/राज्य में सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी चिकित्सालय को संदर्भित करता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की विशिष्ट लिखित सलाह पर ऐसा उपचार कराने के लिए यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) बीमारी की गम्भीरता पर विचार करते हुए यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित में यह संस्तुति करता है कि रोगी को किसी परिचारक द्वारा अनुरक्षित किया जाना है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम सहित किसी परिचारक के लिए अनुमति दी जा सकती है जो सामान्यतः रोगी का सम्बन्धी होगा।

(ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा करने पर कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा भले ही लाभार्थी उसके लिए हकदार है या था।

(घ) जटिल बीमारी की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।

समय-सीमा

23. सामान्यतया दावा तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए अन्यथा विभागीय सचिव का अनुमोदन अनिवार्य होगा जो मामले के गुणदोष के आधार पर दावे की प्रतिपूर्ति का विनिश्चय करेगा।

अखिल भारतीय सेवा के सदस्य

24. यह नियमावली अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहाँ अखिल भारतीय सेवा(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के प्रावधान इस नियमावली से निम्नतर हैं।

वाह्य सेवा

25. यदि कोई सरकारी सेवक वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हो तो उसे इस नियमावली के अधीन अनुमन्य से निम्नतर चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त होगी और चिकित्सा परिचर्या तथा

उपचार पर हुआ व्यय वाह्य नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा और पैतृक विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा।

निरसन और अपवाद

26. समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 और इस संबंध में निर्गत किये गये सभी सरकारी आदेश निरसित हो जायेंगे। तथापि, प्रतिपूर्ति के लिए हकदारी उनसे कम नहीं होगी जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व अनुमन्य थी।

कठिनाई का निराकरण

27. यदि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के उपबन्धों के प्रवर्तन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हों और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों।

निर्वचन और शिथिलीकरण

28. (क) यदि इस नियमावली के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि चिकित्सा परिचर्या की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम या उसके अधीन निर्गत आदेश से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कठिनाई उत्पन्न होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियम या आदेश में किसी बात के होते हुए भी उस नियम या आदेश की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए आदेश द्वारा वह अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है जैसा मामले के न्यायोचित और साम्यपूर्ण रीति से निस्तारण के लिए आवश्यक समझे।

आज्ञा से,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट 'क'

उत्तर प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य-पत्रक

(भाग दो, नियम-6(क) देखें)

संख्या-..........................

आवेदक के परिवार का प्रमाणित फोटो

कार्यालयाध्यक्ष की मुहर

नाम:- .... जन्म का दिनांक .... लिंग....................

पदनाम................................ विभाग का नाम ....

तैनाती का स्थान-..

आवासीय पता-...

मूल वेतन तथा वेतनमान/पेंशन-...

नामिनी का नाम-...

आश्रित पारिवारिक सदस्यों का विवरण-

क्रमांक	नाम	जन्म का दिनांक	आवेदक से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
कुल संख्या			

दिनांक..

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर, मुहर सहित।

परिशिष्ट "ख"
(भाग चार, नियम-15"ख" देखें)
उपचार हेतु अग्रिम के लिए आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम-

2. पदनाम-

3. तैनाती का स्थान-

4. कार्यालयाध्यक्ष-

5. मूल वेतन-

6. स्वास्थ्य पत्रक संख्या-

7. रोगी का नाम-

8. कर्मचारी से सम्बन्ध-

9. बीमारी का नाम(जिससे पीड़ित है)-

10. व्यय की धनराशि-.......................

(उपचारी चिकित्सक द्वारा तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित व्यय-अनुमान संलग्न है)

11. अपेक्षित अग्रिम की धनराशि

दिनांक:.....................

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)
नाम:
पदनाम

(18)

परिशिष्ट "ग"

(भाग-पाँच-नियम-16 तथा 18 देखें)

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष का नाम,

....

....

विषयः चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मैं../मेरे पारिवारिक सदस्य(नाम).................. ने ....(बीमारी का नाम) के लिए .... (दिनांक) से............................... तक...(चिकित्सालय का नाम) में उपचार करवाया है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

1. उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।

2. उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद पर्ची(कैश मेमो), बीजक(बिल), वाउचर।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित पारिवारिक सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित है।

मेरे उपचारार्थ.............................. के पत्र संख्या..................... दिनांक .... द्वारा स्वीकृत रू0.................................... के अग्रिम का समायोजन करने के पश्चात् मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक.......................

अधिकारी/कर्मचारी का नाम

पदनामः

तैनाती का स्थान-

परिशिष्ट "घ"

(भाग-चार-नियम-15 (च) देखें)

चिकित्सा परिचारक के लिए अग्रिमों की पंजी

क्र.स.	सरकारी सेवक का नाम और पदनाम	अग्रिम की स्वीकृति के लिए शासनादेश का दिनांक और संख्या	स्वीकृत अग्रिम की धनराशि	अग्रिम के आहरण का दिनांक और वाउचर संख्या	प्रतिपूर्ति दावा में प्रस्तुतीकरण की देय अवधि
1	2	3	4	5	6

कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष के कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावा की प्राप्ति का वास्तविक दिनांक	अग्रिम की प्रतिपूर्ति दावा वसूली के भुगतान के लिए की गई कार्यवाही का विवरण	प्रतिपूर्ति दावा की स्वीकृति के आदेश की संख्या और दिनांक	प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृत धनराशि	समायोजन के लिए यदि कोई हो, अग्रिम की अवशेष धनराशि
7	8	9	10	11

टेजरी चालान की संख्या और दिनांक अग्रिम की अवशेष धनराशि के लिए जमा की गयी धनराशि, यदि कोई हो।	समायोजन की बिल संख्या और दिनांक	चेकिंग के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
12	13	14	14